राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच, बीकानेर, राजस्थान

निगरानी संख्याः–07 / 2017

मघाराम पुत्र श्री रतनलाल जाति चौधरी निवासी पवनपुरी, बीकानेर

निगरानीकर्ता

बनाम

01. नगर विकास न्यास, बीकाने (राज0) जरिये सचिव आर.के. जायसवाल आई.ए.एस.
02. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास बीकानेर राज0 जरिये अध्यक्ष महावीर रांका

प्रत्यर्थीगण

समक्ष

माननीय श्री कमल कुमार बागड़ी, सदस्य (न्यायिक)

उपस्थितः–
निगरानीकर्ता की ओर से श्री मनोज महात्मा अधिवक्ता

आदेश दिनांकः–03.11.2017

द्वारा राज्य आयोग सर्किट बैंच,बीकानेर,राजस्थान(द्वारा श्री कमल कुमार बागड़ी,सदस्य,न्यायिक)

यह निगरानी मघाराम की ओर से नगर विकास न्यास के विरूद्ध पेश की गयी।

निगरानी का मुख्य मुद्दा धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रार्थना–पत्र को समय पर जल्दी निस्तारित करने के निर्देश देने के संबंध में है। इस प्रकरण में परिवाद 14.09.2005 को पेश किया गया 30.07.2007 को उक्त परिवाद निर्णित किया गया तथा परिवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

पीठासीन सदस्य
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
बेंच सं. 3, जयपुर

दिनांक 02.02.2017 को इस आयोग द्वारा अपील खारिज की गयी परन्तु विपक्षीगण द्वारा पालना नहीं की गयी 20.02.2017 को धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ जिला मंच की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि प्रकरण दर्ज करते समय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 200 व 202 की पालना नहीं की गयी, सीधे ही प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इस संबंध में इस आयोग द्वारा दिनांक 16.10.2017 को दीप्ती काबरा बनाम अब्दुल कादिर एवं अन्य विस्तृत आदेश पारित किया गया है तथा सभी जिला मंचों को भिजवाया जा चुका है। अतः प्रकरण में 200 व 202 सी.आर.पी.सी. की जॉच करके उसके बाद आगे कार्यवाही बढ़े।

सामान्यतः यह देखा गया है कि धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों के निस्तारण में काफी वर्ष लग जाते है। जब कि पहले परिवादी जिला मंच, राज्य आयोग, माननीय राष्ट्रीय आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ते है वहॉ सब उसके पक्ष में होने के बावजूद आदेश की पालना नहीं होती। इससे इस अधिनियम का उद्धेश्य ही बेकार हो गया है जब कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं को ज्यादा न्याय, राहत दिलाये जाने के लिए बनाया गया है, परन्तु इसकी स्थिति वो ही हो गयी है जो दीवानी प्रकरणों में हो गयी है।

इस स्थिति में इस आयोग द्वारा यह निर्देश दिया जाना उचित हैः–

अतः सभी जिला मंचों को निर्देश दिया जाता है कि धारा 27 के प्रकरणों में इस आयोग के निर्णय दिनांकित 16.10.2017 दीप्ती काबरा बनाम अब्दुल कादिर एवं अन्य बतायी गयी प्रकिया की पूर्ण पालना कर मुलजिम व मुलजिमान को तलब किया जावें, जब मुलजिम या मुलजिमान उपस्थित आ जायें तो प्रकरण का निस्तारण 6 माह के अंदर–अंदर किया जावें। ऐसे प्रकरणों में 15 दिन से ज्यादा की तारीख पेशी नहीं दी जायें। 6 माह में यदि जिला मंच प्रकरण का निस्तारण नहीं कर पायें तो, इस आयोग के रजिस्ट्रार को प्रकरण के निस्तारण न होने के कारणों सहित सूचित करें। उसके पश्चात् 3 महीने में प्रकरण का निस्तारण किया जायें। जिसमें 7–7 दिन से ज्यादा की तारीख पेश नहीं दी जायें तथा प्रत्येक माह इस आयोग के रजिस्ट्रार को प्रकरण के निस्तारित नहीं होने की सूचना दी जावें। इस आदेश की प्रति सभी जिला मंचों को भिजवायी जायें।

सामान्यतः यह देखने में भी आया है कि धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश होता है, तो, बिना 200 व 202 दण्ड प्रकिया संहिता की जॉच किये प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है यद्यपि जिला मंच को संक्षिप्त प्रकिया भी अपनानी

है तो भी पहले 200 व 202 दण्ड प्रकिया संहिता की जॉच कर प्रसंज्ञान ले उसके पश्चात् कोनसी प्रकिया अपनानी है उसका आदेश दें।

अतः यह आयोग निगरानी की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस प्रकरण की आदेशिका दिनांक 20.02.2017 को अपास्त कर एवं समस्त जिला मंचों को जिनमें धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रकरण लंबित है, और जिसमें जॉच नहीं की गयी उसकी आगे की सारी प्रकिया रद्द करते हुए निर्देश दे रही है कि यह माना जावें कि धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का इस्तगासा पेश हुआ है, उसके पश्चात् 200 व 202 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत् कार्यवाही करें जो भी प्रसंज्ञान लेना है या नहीं लेना है आदेश पारित करें तथा उसके पश्चात् आगे कार्यवाही करें।

पत्रावली अधीनस्थ जिला मंच में दिनांक 17.11.2017 को पेश हो।

(कमल कुमार बागड़ी)
सदस्य(न्यायिक)

/पाठक/